हीट वेव एक्शन प्लान-2025

जनपद-गोरखपुर

जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण, गोरखपुर

1 पृष्ठभूमि एवं वस्तुस्थिति :

1.1 परिचय :

गोरखपुर जनपद 25 डिग्री 51′ उत्तर व 26 डिग्री 30′ उत्तर अक्षांश तथा 83 डिग्री 25′ पूर्व व 84 डिग्री 20′ पूर्व देशांतर के मध्य उत्तर प्रदेश की उत्तरी पूर्वी सीमा के सन्निकट स्थित है। नाथ परम्परा के अलौकिक संत साधक गुरु श्री गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली होने के कारण ही इसका नाम गोरखपुर पड़ा एवं इसी कारण से ही यह देश देशान्तर में सुविख्यात है। किसी समय पहले इसमे काफी लम्बा चौड़ा भूभाग समाहित था, परन्तु कालान्तर में यह महाजनपद अनेक जनपदों में विभाजित हो गया।

जनपद में वर्मातन समय में 07 तहसीलें क्रमशः सदर, कैम्पियरगंज, चौरीचौरा, सहजनवा, खजनी, बांसगांव व गोला है। राप्ती, घाघरा, रोहिन, आमी, कुआनो तथा गोर्रा जनपद में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां है।

1.2 जिला प्रोफाइल :

सूचक	विवरण
क्षेत्रफल	3483.8 वर्ग किमी0
कुल जनसंख्या (2011)	44,40,895
पुरूष	22,77,777
महिला	21,63,118
ग्रामीण जनसंख्या	36,04,766
नगरीय जनसंख्या	8,36,129
लिंग अनुपात	959
कुल साक्षर	60.8 प्रतिशत
साक्षर पुरूष	69.9 प्रतिशत
साक्षर महिला	51.1 प्रतिशत
तहसील	07
विकास खण्ड	19
थाना	28
विश्वविद्यालय	01
तकनीकी विश्वविद्यालय	01
डिग्री कालेज	15
इण्टर / माध्यमिक विद्यालय	135
सीनियर / जूनियर बेसिक स्कूल	1776
आंगनबाड़ी केन्द्र	510
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	22
आयुर्वेदिक चिकित्सालय	39
होम्योपैथिक चिकित्सालय	28
यूनानी चिकित्सालय	02
पशु चिकित्सालय	45
रेलवे स्टेशन हाल्ट सहित	22
बस स्टेशन / बस स्टाप	106
प्रमुख बैंक	31
सहकारी बैंक	32
सस्ते गल्ले की दुकान	ग्रामीण–1797 एवं नगरीय–307
प्रमुख नदियां	राप्ती–134किमी0, सरयू (घाघरा)–77किमी0, कुआनों–23किमी0, आमी–77किमी0, रोहिन–30किमी0, गुर्रा–17 किमी0
मुख्य ताल	रामगढ़ ताल

मुख्य सड़क	राष्ट्रीय राजमार्ग–28
मुख्य फसल	धान, गेहूं, दाल व गन्ना
मुख्य उद्योग	गन्ना मिल, हैण्डलूम एवं टेक्सटाइल
मुख्य भाषा	हिन्दी व भोजपुरी
मुख्य मेला	खिचड़ी मेला, सैयद सलार मेला, तरकुलहा मेला
हस्तशिल्प	टेराकोटा (राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध)
अखबार प्रकाशन	दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, आज, अमर उजाला, हिन्दुस्तान व स्वतंत्र चेतना
पर्यटन स्थल	चौरीचौरा, कुशीनगर, कपिलवस्तु, लुम्बिनी
मंदिर	गोरखनाथ मंदिर, गीता वाटिका, विष्णु मंदिर, महादेव झारखण्डी मंदिर

1.3 हीटवेव (लू) की परिभाषा एवं मौसम विभाग द्वारा परिभाषित संबंधित मानदण्ड :

किसी स्थान के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में सामान्य रूप से बहुत अधिक वृद्धि होने पर लू या हीटवेव का प्रकोप होता है। हीटवेव का प्रभाव सामान्यतः मार्च से अप्रैल तक होता है पर कभी–कभी इसका प्रभाव मार्च से जुलाई तक भी देखा गया है। मैदानी इलाकों में हीटवेव का प्रभाव अधिक दिखायी पड़ता है। हीटवेव से मानव, पशुओं को अधिक हानि होती है तथा प्रतिदिन बढ़ता तापमान इसको और अधिक हानिकारक बनाता है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली द्वारा हीटवेव को निम्नवत परिभाषित किया गया है :–

- हीटवेव को तब तक नहीं माना जाता जब तक मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान 40 डि0से0 से अधिक एवं पहाड़ी क्षेत्रों का अधिकतम 30 डि0से0 से ज्यादा न हो जाये।
- जब एक स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डि0से0 से कम या बराबर होता है तो हीटवेव सामान्य से 5 से 6 डि0से0 तक है। सिवियर हीटवेव सामान्य से 7 डि0से0 या उससे अधिक है।
- जब एक स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डि0से0 से अधिक है तो हीटवेव 4 से 5 डि0से0 एवं सिवियर हीटवेव सामान्य से 6 डि0से0 अधिक है।
- जब वास्तविक अधिकतम तापमान सामान्य अधिकतम तापमान के बावजूद 45 डि0से0 या अधिक रहता है, तो हीटवेव को घोषित किया जाना चाहिए।

हीटवेव को घोषित करने के लिए उपरोक्त मानदण्डों को कम से कम दो स्टेशनों पर एक मौसम संबंधी उप विभाग में मिला होना चाहिए कम से कम दो लगातार दिन के लिए और यह दूसरे दिन घोषित किया जायेगा।

1.4 विभिन्न क्षेत्रों पर हीटवेव का प्रभाव :

<u>आर्थिक प्रभाव</u>– ग्रीष्म लहर की लगातार घटनायें अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिये कार्य दिवसों के नुकसान के कारण गरीब और सीमांत किसानों की आजीविका नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। ग्रीष्म लहर का दिहाड़ी मजदूरों की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे अर्थ व्यवस्था प्रभावित होती है।

<u>कृषि क्षेत्र पर प्रभाव</u>– जब तापमान आदर्श सीमा से अधिक हो जाता है तो फसल की पैदावार प्रभावित होती है। पशुधन भी ग्रीष्म लहरों की चपेट में आते हैं जिनसे उनकी सेहत प्रभावित होती है और उत्पादकता घटती है।

<u>खाद्य असुरक्षा</u>– ग्रीष्म लहर और सूखे की घटनाओं के मेल से फसल की उत्पादन का नुकसान हो रहा है और वृक्ष सूख रहे हैं। गर्मी के कारण कम उत्पादकता की हानि से खाद्य उत्पादन में आने वाली अप्रत्याशित कमी स्वास्थ और खाद्य उत्पादन के जोखिमों को और गंभीर कर देगी। ये परस्पर प्रभाव विशेष रूप से उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों खाद्य कीमतों में वृद्धि करेंगे, घरेलू आय को कम कर देंगे और कुपोषण एवं जलवायु संबंधी मौतों को बढ़ावा देंगे।

<u>श्रमिकों पर प्रभाव</u>– वर्ष 2030 में कृषि और निर्माण जैसे क्षेत्रों से संलग्न श्रमिक गंभीर रूप से प्रभावित होंगे क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए इन क्षेत्रों पर निर्भर है।

1.5 विगत 05 वर्षों में सर्वाधिक तापमान तथा हीटवेव दिवस की संख्या :

Year	Maximum Temperature Recorded					No of Heat Wave Days
	March	April	May	June	July	
2020	32.6	38.1	39.5	-	-	-
2021	37.7	41.0	41.0	38.6	38.5	6
2022	36.4	42.4	40.7	40.8	37.2	19
2023	36.2	42.6	41.4	43.7	36.6	27
2024	38.5	42.1	44.0	43.9	37.4	39

2 हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना का सूत्रण :

2.1 हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना की आवश्यकता :

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब किसी जगह का स्थानीय तापमान लगातार 03 दिन तक वहां के सामान्य तापमान से 03 डिग्री0से0 या अधिक बना रहे तो उसे लू या हीट वेव कहते हैं। विश्व मौसम संघ के अनुसार यदि किसी स्थान का तापमान लगातार 05 दिन तक सामान्य स्थानीय तापमान से 5 डिग्री0से0 अधिक बना रहे अथवा लगातार दो दिन तक 45 डिग्री0से0 से अधिक का तापमान बना रहे तो उसे हीट वेव या लू कहते हैं।

जब वातावरणीय तापमान 37 डिग्री0से0 तक रहता है तो मानव शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे ही तापमान 37 डिग्री0से0 से ऊपर बढ़ता है तो हमारा शरीर वातावरणीय गर्मी को शोषित कर शरीर के तापमान को प्रभावित करने लगता है। गर्मी में सबसे बड़ी समस्या होती है लू लगना। अंग्रेजी में इसे (हीट स्ट्रोक) या सन स्ट्रोक कहते हैं। गर्मी में उच्च तापमान में ज्यादा देर तक रहने से या गर्म हवा के झोंकों के सम्पर्क में आने पर लू लगती है।

2.2 हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना का उद्देश्य :

तालिका 1.5 में वर्णित 05 वर्षों में सर्वाधिक तापमान तथा हीटवेव (लू) दिवस की संख्या के दृष्टिगत जनपद–गोरखपुर में बढ़ते तापमान और बढ़ते लू दिवस से होने वाले दुष्प्रभावों को न्यून करने तथा समस्त हितभागी विभागों/संस्थाओं के समग्र प्रयास से आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिए योजना का निर्माण कराया जाना अतिआवश्यक है।

2.3 जनपद में लू के प्रति जोखिम का आंकलन (कमजोर वर्ग एवं क्षेत्र की पहचान करना) :

जनपद एवं उसके आस–पास के क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य संचालित किये जा रहे हैं, जिसके कारण प्राकृतिक रूप से निर्मित जलाशय एवं वृक्ष आदि प्रभावित हुए हैं। उक्त के दृष्टिगत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण तथा अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत पोखरे आदि का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे वातावरण संतुलित रहे। लू की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र से कहीं ज्यादा नगरीय एवं उसके आस–पास के क्षेत्र संवेदनशील है। उक्त क्षेत्रों में स्थानीय नगर पंचायते व नगर निगम के माध्यम से कूलिंग सेंटर आदि स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

लू प्रकोप से विशेषकर गर्भवती महिलाएं, वृद्ध, लम्बी बिमारी से ग्रसित व्यक्ति, बच्चे आदि के अतिरिक्त पशु–पक्षी, जलजीव भी प्रभावित होते हैं, जिनके दृष्टिगत योजना के अंतर्गत समुचित कार्यवाही की गयी है।

2.4 हीटवेव (लू) कार्ययोजना की प्रमुख रणनीतियां :

<u>सूचनाओं का एकत्रीकरण</u>– सर्वप्रथम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, प्रदूषण विभाग, जल निगम, स्वास्थ्य, पशुपालन आदि विभागों से सूचनाओं का एकत्रीकरण किया गया।

<u>संबंधित हितभागी विभागों एवं संस्थाओं के साथ पूर्व तैयारी बैठक</u>– जिलाधिकारी महोदय एवं अपर जिलाधिकारी (वि/रा) महोदय की अध्यक्षता में लू प्रकोप से बचाव हेतु हितभागी विभागों एवं संस्थाओं के साथ निश्चित समयान्तराल पर बैठक के माध्यम से चर्चा कर सुझावों को संकलित करते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश दिया गया।

<u>विभागीय योजनाओं का निर्माण</u>– बैठक के माध्यम से संबंधित विभागों को हीटवेव (लू) से बचाव हेतु विभागीय कार्ययोजना के निर्माण हेतु निर्देशित किया गया। निर्देश के अनुपालन में निर्मित विभागीय कार्ययोजना को आपदा कार्यालय को उपलब्ध कराया गया।

<u>विभागों द्वारा तैयार किये गये योजना के आधार पर जनपद स्तरीय योजना का निर्माण</u>– संबंधित विभागों द्वारा तैयार किये गये कार्ययोजना के आधार पर जनपद स्तरीय कार्ययोजना का निर्माण किया गया है।

2.5 हीटवेव पूर्व चेतावनी प्रसार तंत्र :

जनपद–गोरखपुर में प्राधिकरण स्तर पर 'क्लाइमेट सेल' का गठन किया गया है, जिसमें मौसम विज्ञान विभाग, रक्षा अध्ययन विभाग दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय आदि के विशेषज्ञों को सम्मिलित कर किया गया है, जिनका यह दायित्व है कि मौसम संबंधी सूचनाओं को एकत्र व आंकलन कर दैनिक समाचार पत्रों आदि अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जन सामान्य को अवगत कराया जाना है। क्लाइमेट सेल द्वारा हीटवेव पूर्व चेतावनी प्रसार तंत्र के अंतर्गत निम्नांकित कार्य किया जाता है :–

- प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर 'क्लाइमेट सेल' के प्रतिनिधियों के साथ बैठक तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एवं स्थानीय स्तर पर स्थापित ई.डब्लू.एस. के सहयोग से दैनिक वर्षा एवं तापमान का संकलन तथा उक्त के आधार पर स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्व चेतावनी जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही की जाती है।
- प्राधिकरण द्वारा स्थानीय स्तर पर संचालित विभिन्न एफ.एम. चैनलों एवं आकाशवाणी के माध्यम से मौसम संबंधी सूचनाओं का प्रेषण एवं जनसमुदाय को जागरूक किये जाने संबंधी समय–समय पर कार्यवाही की जाती है।
- जनपद में स्थापित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल रूम के माध्यम से पूर्व चेतावनी जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही की जाती है।
- ग्रीष्म ऋतु में लू–प्रकोप (हीट स्ट्रोक) से बचाव हेतु दैनिक समाचार पत्रों में– लू कब लगती है, हीट स्ट्रोक के लक्षण, मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव, हीट स्ट्रोक से बचने के उपाय, इससे बचाव हेतु क्या करें, क्या न करें आदि से संबंधित लेख का प्रकाशन कराया जाता है।

3 विभिन्न विभागों/एजेन्सियों के चरणवार उत्तरदायित्व :

3.1 विभागवार हीटवेव/लू के पूर्व के समय (जनवरी–मार्च), हीटवेव/लू के दौरान (अप्रैल–जून), हीटवेव/लू के बाद के समय (जुलाई–दिसम्बर) के दौरान जिम्मेदारियां :

स्वास्थ्य विभाग

हीटवेव (लू) के पूर्व (जनवरी–मार्च)

- समस्त सरकारी एवं गैरसरकारी चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त दवाओं के भण्डारण तथा कोल्ड चेन मैनेजमेंट की व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने का कार्य पूर्ण किया जाय।
- चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों पर ''ओ.आर.एस. सेंटर'' की स्थापना संबंधी अद्यतन कार्यवाही, जिसमें ओ.आर.एस. की उपलब्धता, कार्मिकों की तैनाती तथा रख–रखाव आदि संबंधी कार्य सम्मिलित हैं, पूर्ण किया जाये।
- जनसमुदाय को लू से बचाव हेतु जागरूक किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये।
- चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये।
- चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों पर शुद्ध पेयजल तथा कूलिंग सेंटर की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थल का चयन व अन्य व्यवस्थायें सुनिश्चित कर ली जायें।
- चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों पर अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये।
- आशा, ए.एन.एम. एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से डोर–टू–डोर लू से बचाव हेतु क्या करें–क्या न करें जागरूकता सदेंशों/अध्ययन सामग्री से जनसमुदाय को जागरूक करना।

हीटवेव (लू) के दौरान (अप्रैल–जून)

- समस्त चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों पर 24X7 चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती।
- प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना।
- चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों पर शुद्ध पेयजल तथा कूलिंग सेंटर का निर्बाध संचालन करना।
- चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों पर ''ओ.आर.एस. सेंटर'' का सुचारू संचालन।
- आशा, ए.एन.एम. एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से डोर–टू–डोर ओ.आर.एस. पैकेट का वितरण।
- समाचार पत्रों में दैनिक मीडिया एडवाइजरी जारी करना।
- साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट आपदा कार्यालय को उपलब्ध कराना।

हीटवेव (लू) के बाद (जुलाई–दिसम्बर)

- अप्रैल से जून के महीने के दौरान हीट सिंकोप, हीट स्ट्रोक और अन्य हीट डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्तियों का विस्तृत केस स्टडी की योजना का निर्माण करना और उसकी प्रमाणित प्रति आपदा कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- जुलाई एवं सितम्बर के महीने में भी गर्मी के मौसम में की जाने वाली गतिविधियों को जारी रखा जाये।
- जलवायु परिवर्तन को स्थिर रखने के लिए संबंधित विभागों के साथ अंतर्क्षेत्रीय समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करना।

कृषि विभाग एवं वन विभाग

हीटवेव (लू) के पूर्व (जनवरी–मार्च)

- कृषकों को गेहूं की कटाई दोपहर के बजाय सुबह व शाम के समय करने हेतु जागरूक करना।
- कृषकों को स्थानीय मौसम एवं तापमान से अवगत कराने हेतु समाचार पत्रों व रेडियो के माध्यम से संदेश प्रसारित करने की कार्यवाही करना।
- गेहूं कटाई के समय छोटे बच्चों को साथ न ले जाने हेतु जागरूक करना।
- गेहूं की कटाई के समय पर्याप्त जल साथ रखने हेतु प्रेरित करना।
- गेहूं की कटाई के समय सूती कपड़े पहनने व सिर को गमछा आदि से ढकने हेतु कृषकों को जागरूक करना।
- खेतों के निकट उपयुक्त स्थल पर खास–फूस, पेड़ों की टहनियों अथवा तिरपाल या प्लास्टिक से वैकल्पिक छायादार शेड का निर्माण करने हेतु कृषकों को जागरूक करना।
- बीमित कृषकों के अतिरिक्त गैर बीमित अधिक से अधिक कृषकों को प्रधानमंत्री बीमा योजना से जोड़ने हेतु कैम्पों का आयोजन।
- पशुओं के चारागाह स्थल का चयन सुनिश्चित करना।

हीटवेव (लू) के दौरान (अप्रैल–जून)

- फसल अवशेष न जलाने हेतु जागरूक करना।
- जायद की फसलें जैसे बाजरा, मक्का, उर्द एवं मूंग की उन्नत प्रजातियों की सुबह या शाम बुवाई करने हेतु प्रेरित व जागरूक करना।
- कृषि कार्य के समय छोटे बच्चों को साथ न ले जाने हेतु जागरूक करना।
- कृषि कार्य के दौरान पर्याप्त जल साथ रखने हेतु प्रेरित करना।
- कृषि कार्य के समय सूती कपड़े पहने व सिर को गमछा आदि से ढकने हेतु कृषकों को जागरूक करना।
- दोपहर के समय कृषि कार्य न करने हेतु कृषकों को बैठक के माध्यम से जागरूक करना।
- कृषि कार्य के दौरान खेतों के निकट पूर्व में निर्मित खास–फूस, पेड़ों की टहनियों अथवा तिरपाल या प्लास्टिक से वैकल्पिक छायादार शेड का आवश्यकतानुसार प्रयोग करें।

हीटवेव (लू) के बाद (जुलाई–दिसम्बर)

- खेतों की मेड़ पर वृक्ष लगाने हेतु कृषकों को प्रेरित करना।
- मौसम के अनुकूल फसलों की बुआई हेतु प्रेरित करना।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ एवं योजना में सम्मिलित होने के लिए कृषकों को कैम्प एवं बैठकों के माध्यम से जागरूक करना।
- बीमित कृषकों के अतिरिक्त अधिक से अधिक गैर बीमित कृषकों को प्रधानमंत्री बीमा योजना से जोड़ना।
- बीमित प्रभावित कृषकों को प्रधानमंत्री फसल योजना से बीमा राशि उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करना।
- पशुओं हेतुचारागाह स्थल की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

सिंचाई विभाग

(नलकूप–प्रथम/द्वितीय, लघु सिंचाई, जल निगम एवं सिंचाई विभाग)

हीटवेव (लू) के पूर्व (जनवरी–मार्च)

- राजस्व एवं कृषि विभाग से समन्वय स्थापित कर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सिंचाई हेतु जल स्रोतों में पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जल संचय तकनीकों से कृषकों को अवगत कराना।
- उपलब्ध जल स्रोतों जैसे–नहर, तालाब, पोखरों, टंकी आदि की गहना से निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार मरम्मत/सुदृढ़ीकरण एवं जल भण्डारण कार्य कराना।
- जल स्रोतों की सुरक्षा एवं निगरानी हेतु कार्मिकों की तैनाती करना।
- जल स्रोत विशेषकर पानी टंकियां वज्रपात आदि से नष्ट न होने पायें इसलिए उक्त पर Lightning Arrester लगाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- जल स्रोतों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो।
- जल स्रोतों को साफ–सुथरा रखने हेतु संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तथा साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये।
- प्रदूषित जल स्रोतों को पूर्व से चिन्हित कर उस पर लाल रंग से X निशान लगाते हुए जनसमुदाय को उसका जल प्रयोग न करने के लिए जागरूक व अपील करें।
- विभाग के पास उपलब्ध समस्त संसाधनों विशेषकर मोटर पम्प आदि की मरम्मत व सर्विसिंग सुनिश्चित कर ली जाये।
- समस्त संबंधित विभाग के अंतर्गत आने वाले व संचालित जल स्रोतों का 'जियो टैगिंग' कराते हुए अक्षांश व देशांतर अंकित कर सूची आपदा कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये, जिससे कि अग्निशमन विभाग व अन्य लाईफ लाइन विभागों को उपलब्ध करायी जा सके ताकि विषम परिस्थितियों में जल की आपूर्ति व अग्निशमन वाहनों में जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

हीटवेव (लू) के दौरान (अप्रैल–जून)

- सिंचाई हेतु नहर, तालाब, पोखरा, टंकी में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सिंचाई कार्य में प्रयुक्त जल स्रोतों की तैनात कार्मिकों के माध्यम से सुरक्षा एवं निगरानी कराना।
- निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराना।
- जिन स्थलों पर पेयजल की उपलब्धता नहीं है, वहां वाटर टैंकर के माध्यम से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- बाढ़ से बचाव एवं अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण तटबंधों में पड़ने वाली दरार को रोकने वेटीवर ग्रास का रोपण कराना।
- तटबंधों का गहनता से निरीक्षण एवं आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य संपादित करना।
- आवश्यक सामग्रियों का भण्डारण करना एवं कार्मिकों की तैनाती।
- निर्बाध रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कंट्रोल रूम स्थापित करें और कंट्रोल रूम का नम्बर प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार करें।

हीटवेव (लू) के बाद (जुलाई–दिसम्बर)

- संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर जल स्रोतों का आवश्यकतानुसार सफाई कार्य एवं दवाओं का छिड़काव कराना।
- नियमित तटबंधों का गहनता से निरीक्षण एवं आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य संपादित करना।
- बाढ़ सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन एवं बाढ़ से बचाव हेतु रणनीति का निर्माण।
- समस्त बाढ़ चौकियों पर कार्मिकों की तैनाती एवं नियमित सूचना एवं चेतावनी का प्रेषण।
- कंट्रोल रूम की स्थापना एवं कार्मिकों की तैनाती।
- कंट्रोल रूम को प्राप्त सूचना का ससमय निराकरण करना।

शिक्षा विभाग

हीटवेव (लू) के पूर्व (जनवरी–मार्च)

- विद्यार्थियों को हीटवेव (लू) क्या होता है, कैसे प्रभावित करता है और इससे बचने हेतु क्या उपाय व घरेलू उपचार किये जा सकते हैं, आदि के संबंध में विशेष सत्र का आयोजन प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से किया जाये।
- विद्यार्थियों को लू बचाव संबंधी समुचित अध्ययन सामग्री एवं जागरूकता संदेश आदि उपलब्ध कराया जाये।
- विद्यालयों में निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति तथा प्रत्येक कक्षा में सीलिंग/टेबल फैन आदि अनिवार्य रूप से संचालित कराया जाये।
- विद्यालयों में प्रयोग किये जाने वाले वाहनों को छांव एवं सुरक्षित स्थल पर खड़ी करने हेतु पृथक रूप से दिशा–निर्देश दिये जायें।
- विगत वर्ष के अनुभवों के आधार पर हीटवेव (लू) के दौरान विद्यार्थियों को सुरक्षित रखे जाने हेतु जारी शासनादेशों का पालन किया जाये।
- विद्यार्थियों हेतु शुद्ध शीतल पेयजल की उपलब्धता पूर्व में ही सुनिश्चित कर ली जाये।
- प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों हेतु पर्याप्त ओ.आर.एस. पैकेट की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये।

हीटवेव (लू) के दौरान (अप्रैल–जून)

- हीटवेव (लू) के दौरान विद्यार्थियों को खुली जगह पर पठन–पाठन कार्य न कराया जाये।
- संभावित हीटवेव (लू) को दृष्टिगत रखते हुए पठन–पाठन का समय प्रातः 07:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक किया जाये।
- निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए पंखों को क्रियाशील रखा जाये।
- विद्यार्थियों हेतु शुद्ध शीतल पेयजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार ओ.आर.एस. पैकेट उपलब्ध कराया जाये।
- तापमान में वृद्धि होने पर खुले स्थल पर बच्चों के खेलकूद अथवा कोई अन्य कार्यक्रम आयोजित न कराया जाये।
- अभिभावक–शिक्षक बैठक के दौरान अभिभावकों को जागरूक करें कि विद्यालय से छूटने अथवा ग्रीष्म ऋतु के अवकाश के दिनों में बच्चों को बाहर खेलने से मना करें एवं उनके खान–पान पर विशेष ध्यान दें।
- मीड डे मील में ताजे एवं शुद्ध भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

हीटवेव (लू) के बाद (जुलाई–दिसम्बर)

- वर्षा ऋतु में विद्यालय प्रांगण एवं उसके आस–पास क्षेत्रों में नियमित साफ–सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- विद्यालय प्रांगण में ब्लीचिंग पावडर/दवाओं का छिड़काव करें।
- पेयजल स्रोत के आस–पास विशेष सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- विद्यालय प्रांगण में जल–जमाव न होने पाये।
- अभिभावकों को विद्यार्थियों के खान–पान एवं व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु जागरूक करें।
- विद्यालय प्रांगण में उचित स्थल पर वृक्षारोपण करायें।
- मीड डे मील में ताजे एवं शुद्ध भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- पीने के पानी में क्लोरिन की गोली का प्रयोग करें।
- स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर विद्यालय प्रांगण में स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन सुनिश्चित करें।

पशुपालन विभाग

हीटवेव (लू) के पूर्व (जनवरी–मार्च)

- पशुपालकों को पशुओं के उचित रख–रखाव एवं स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जागरूकता कैम्प का आयोजन करना।
- ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत पशुपालकों को छायादार पशुशाला निर्माण हेतु जागरूक किया जायेगा।
- अग्किाण्ड की घटना से बचाव हेतु पशुपालकों को क्या करें–क्या न करें से जागरूक कराया जायेगा।
- अग्निकाण्ड से बचाव हेतु पशुचारा भण्डारण स्थल सुरक्षित स्थल पर हो इस हेतु जागरूक किया जायेगा।
- आवश्यक टीकाकरण अभियान/कैम्प का आयोजन सुनिश्चित करना।

हीटवेव (लू) के दौरान (अप्रैल–जून)

- हीटवेव (लू) के दौरान पशुओं को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो इस हेतु पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- पशुपालन विभाग द्वारा ग्रामों में बैठक कर पशुओं को हीटवेव (लू) सुरक्षित रखने तथा उन्हें पर्याप्त चारा आदि उपलब्ध हो सके इस हेतु पशुपालकों को जागरूक किया जायेगा।
- पशु चिकित्साधिकारियों व पैरावेट को हीटवेव (लू) से होने वाले बिमारियों के लक्षण की पहचान कर तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेंगे।
- पशु चिकित्साधिकारी अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत हीटवेव (लू) प्रकोप से पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, के आधार पर अध्ययन कर आख्या प्रस्तुत करेंगे।
- हीटवेव (लू) से लू से होने वाली बिमारियों से हो रही पशुहानि की डाटाबेस तैयार कर आपदा कार्यालय को उपलब्ध कराना।

हीटवेव (लू) के बाद (जुलाई–दिसम्बर)

- वर्षा ऋतु में पशुशाला एवं उसके आस–पास नियमित साफ–सफाई व्यवस्था हेतु जागरूक करेंगे।
- पशुपालकों को पशुशाला स्थलों के आस–पास जल–जमाव की स्थिति न हो इस हेतु प्रेरित किया जायेगा।
- पशुशाला एवं चारा भण्डारण स्थल को वर्षा से बचाव हेतु उचित प्रबंधन हेतु पशुपालकों को जागरूक किया जायेगा।
- खुरपका, मुंहपका, गलाघोंटू आदि बिमारियों से बचाव हेतु विशेष अभियान/कैम्प का आयोजन सुनिश्चित करना।

अग्निशमन विभाग

हीटवेव (लू) के पूर्व (जनवरी–मार्च)

- गेहूं की फसलों की कटाई से होने वाली अग्निकाण्ड की घटना को न्यून करने हेतु विशेष जागरूकता अभियान का प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार करना।
- टॉल फ्री नम्बर 112 एवं 101 का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना।
- संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रत्येक तहसील में उपलब्ध जल स्रोतों का मार्ग मानचित्रण के साथ चिन्हीकरण सुनिश्चित करना।
- विभाग द्वारा स्थापित स्टेशन एवं सब स्टेशन तथा तैनात किये जाने वाले वाहनों व तैनात कर्मचारियों आदि के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली जाये।
- आवश्यकतानुसार अग्निशमन वाहनों/यंत्रों का मरम्मत कार्य सुनिश्चित करना।

हीटवेव (लू) के दौरान (अप्रैल–जून)

- कंट्रोल रूम की स्थापना कर समस्त स्टेशनों/सब स्टेशनों को आवश्यक संसाधनों सहित 24X7 क्रियाशील रखा जायेगा।
- हीटवेव (लू) के दौरान घटित होने वाली अग्निकाण्ड की घटनाओं की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- घटित अग्निकाण्ड से हुई जन–धन, पशु हानि का डाटाबेस तैयार कर आपदा कार्यालय को उपलब्ध कराना।

हीटवेव (लू) के बाद (जुलाई–दिसम्बर)

- विगत माह में घटित अग्निकाण्ड की घटनाओं के नियंत्रण के दौरान मिली चुनौतियों का अध्ययन कर उसके निवारण हेतु कार्ययोजना तैयार करना।
- विभिन्न विभागों, विद्यालयों एवं ग्राम स्तर पर अग्निकाण्ड से बचाव हेतु जनजागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

बाल सेवा एवं पुष्टाहार विभाग

हीटवेव (लू) के पूर्व (जनवरी–मार्च)

- ओ.आर.एस., छाछ एवं अन्य उपयुक्त पेय पदार्थों का पूर्व में ही भण्डारण सुनिश्चित करना।
- आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिका, आशा आदि का हीटवेव (लू) से बचाव हेतु क्या करें–क्या न करें से बचाव हेतु क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- शिशुओं, बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को हीटवेव (लू) से बचाव हेतु अध्ययन सामग्रियों/जागरूकता संदेशों का व्यापक प्रचार–प्रसार करना आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चस्पा करना।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पर्याप्त शुद्ध पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा किट की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिका, आशा आदि के माध्यम से हीटवेव (लू) से होने वाली बिमारियों से बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना।
- शिशुओं, बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं की सूची तैयार करना।

हीटवेव (लू) के दौरान (अप्रैल–जून)

- शिशुओं, बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को ओ.आर.एस., छाछ एवं अन्य उपयुक्त पेय पदार्थों का वितरण सुनिश्चित करना।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पर्याप्त शुद्ध पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा किट की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- शिशुओं, बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं की सूची के अनुसार नियमित टीकाकरण अभियान/कैम्प का आयोजन सुनिश्चित करना।
- हीटवेव (लू) से बचाव हेतु तापमान वृद्धि के दौरान बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को अधिक से अधिक पेय पदार्थों का सेवन करने हेतु प्रेरित करना।
- शिशुओं, बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को हल्के सूती कपड़े पहने हेतु प्रेरित करना।
- शिशुओं, बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को धूप से बचने एवं घरों में छायादार स्थल पर रहने हेतु जागरूक करना।

हीटवेव (लू) के पश्चात् (जुलाई–दिसम्बर)

- स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर शिशुओं, बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं हेतु स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन एवं दवाओं का वितरण करना।
- नियमित टीकाकरण कैम्प का आयोजन सुनिश्चित करना।

जिला पंचायत राज विभाग

हीटवेव (लू) के पूर्व (जनवरी–मार्च)

- ग्रामीण क्षेत्रों में हीटवेव (लू) से बचाव हेतु मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत मजदूरों एवं अन्य विकास परियोजनाओं में कार्यरत मजदूरों को जागरूक करना।
- ग्रामीण समुदाय को भी हीटवेव (लू) से होने वाली बिमारियों एवं उससे बचाव हेतु क्या करें–क्या न करें से जागरूक करना।
- शुद्ध पेयजल स्रोतों एवं अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाब/पोखरों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य ग्रीष्म ऋतु से पूर्व पूर्ण कराना।

हीटवेव (लू) के दौरान (अप्रैल–जून)

- अधिक तापमान के दौरान लू से बचाव हेतु मनरेगा मजदूरों के कार्य करने के समय में यथोचित परिवर्तन करना।
- कार्यस्थल के निकट छाया/सेल्टर का निर्माण कराना।
- तापमान में अधिक वृद्धि के दौरान गहन जागरूकता अभियान का संचालन करना।
- कार्यस्थल पर गुड़/पेठा अथवा अन्य सुलभ खाद्य पदार्थ के साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर पशुओं के पेयजल तथा सिंचाई कार्य हेतु जलाशयों में पर्याप्त जल की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।

हीटवेव (लू) के पश्चात् (जुलाई–दिसम्बर)

- ग्रामीण क्षेत्रों में हीटवेव (लू) से बचाव कार्य में आयी चुनौतियों/पायी गयी कमियों को दूर करने हेतु योजनाबद्ध रूप से कार्य करते हुए रिपोर्ट प्रेषित करें।
- क्षतिग्रस्त/खराब पेयजल स्रोतों का पुर्ननिर्माण कराना।
- नियमित रूप से जलाशयों की सफाई कार्य कराना।
- ऐसे जलाशय जहां ग्राम का सारा पानी एकत्रित होता है, वहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लान लगाने हेतु ग्राम विकास योजना में सम्मिलित करते हुए क्रियान्वयन की कार्यवाही पूर्ण कराना।

विद्युत विभाग

हीटवेव (लू) के पूर्व (जनवरी–मार्च)

- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु ट्रांसफार्मर, पोलों एवं तारों आदि का मरम्मत कार्य पूर्ण कराना।
- ओवर लोड की स्थिति से निपटने हेतु अतिरिक्त ट्रांसफार्मर एवं अन्य संसाधनों का भण्डारण पूर्व में ही सुनिश्चित करना।
- मानव/पशुओं के विद्यतु स्पर्शघात से बचाव हेतु ट्रांसफार्मर स्थलों पर फेंसिंग कार्य कराना।
- रोस्टरवार कार्मिकों की तैनाती पूर्व में सुनिश्चित करना।
- हीटवेव (लू) से निपटने हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना आपदा कार्यालय को उपलब्ध कराना।

हीटवेव (लू) के दौरान (अप्रैल–जून)

- ग्रीष्म ऋतु के दौरान शहरी/ग्रामीणों क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- सूचना/शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल मरम्मत कार्य पूर्ण कर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुचारू करना।
- समस्त लाईफ लाइन भवनों जैसे– चिकित्सालय, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, सेल्टर होम आदि स्थलों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायें।

हीटवेव (लू) के पश्चात् (जुलाई–दिसम्बर)

- क्षतिग्रस्त विद्युत संसाधनों का मरम्मत कार्य पूर्ण कराना।
- कार्मिकों को आपात स्थिति से निपटने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना।
- हीटवेव (लू) से बचाव हेतु किये गये कार्यों का केस स्टडी तैयार करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

श्रम विभाग

हीटवेव (लू) के पूर्व (जनवरी–मार्च)

- निर्माण कार्य में कार्यरत कार्मिकों, फैक्ट्री के कर्मचारियों, दिहाड़ी मजदूरों और अन्य कार्य करने वाले कार्मिकों जो खुले स्थलों पर कार्य करते हैं, को हीटवेव (लू) से बचाव हेतु जागरूक एवं प्रशिक्षित करना।
- संवेदनशील निर्माण स्थलों एवं कार्यरत कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए उनकी सूची तैयार करना।
- कार्यरत कर्मचारियों हेतु शुद्ध पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा किट, ओ.आर.एस. पैकेट, छायास्थल आदि अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हेतु समस्त निर्माण एजेसियों को दिशा–निर्देश जारी करना।
- हीटवेव (लू) से बचाव हेतु चिन्हित संवेदनशील निर्माण स्थलों पर कार्यरत कर्मचारियों को जागरूक करना।

हीटवेव (लू) के दौरान (अप्रैल–जून)

- कार्यरत कर्मचारियों हेतु शुद्ध पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा किट, ओ.आर.एस. पैकेट, छायास्थल आदि अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- हीटवेव (लू) दृष्टिगत श्रम कानून का कड़ाई से पालन कराना।
- हीटवेव (लू) वाले स्थलों में कार्यरत मजदूरों के कार्य समय/अवधि में परिवर्तन करना।

हीटवेव (लू) के पश्चात् (जुलाई–दिसम्बर)

- समस्त विभागों के निर्माण कार्य से संबंधित ठेकेदारों/फर्मों को हीटवेव (लू) से बचाव के दृष्टिगत मजदूरों से कार्य कराये जाने हेतु आदेश/दिशा–निर्देश जारी करेंगे।
- हीटवेव (लू) से बचाव हेतु किये गये कार्यों का केस स्टडी तैयार करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

परिवहन विभाग

हीटवेव (लू) के पूर्व (जनवरी–मार्च)

- हीटवेव (लू) के दौरान क्या करें, क्या न करें जागरूकता संदेशों को बस, आटो, स्टेशन/स्टैण्ड का प्रदर्शित करना एवं अध्ययन सामग्री का वितरण करना।
- बस स्टेशनों पर ओ.आर.एस. पैकेट, शीतल पेयजल एवं चिकित्सकीय सुविधा हेतु स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करना।
- बस चालक एवं परिचालकों को आपातकाली आईस पैकेट एवं लू के प्रभाव से बचाव हेतु आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता पूर्व में ही सुनिश्चित कर ली जाये।
- बस स्टेशनों/आटो स्टैण्ड पर छायादार स्थल का निर्माण कराना।
- बसों की खिड़कियों, शीशों, पंखों आदि का मरम्मत कार्य पूर्ण करना।

हीटवेव (लू) के दौरान (अप्रैल–जून)

- हीटवेव (लू) के दौरान समस्त बस स्टेशनों पर ओ.आर.एस. पैकेट, शीतल पेयजल एवं चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना।
- बस चालक एवं परिचालकों को आपातकाली आईस पैकेट एवं लू के प्रभाव से बचाव हेतु आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- हीटवेव (लू) से बचाव हेतु बसों में संचालित टीवी पर लू से बचाव हेतु जागरूकता संदेशों का प्रसारण करना।

हीटवेव (लू) के पश्चात् (जुलाई–दिसम्बर)

- हीटवेव (लू) से बचाव हेतु किये गये कार्यों का केस स्टडी तैयार करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

4. हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारियों का प्रबंधन :

4.1 हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारी की रोकथाम :

हीट वेव की स्थिति शरीर की कार्य प्रणाली पर प्रभाव डालती है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए निम्न तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए :–

- प्रचार माध्यमों पर हीट वेव/लू की चेतावनी पर ध्यान दें।
- अधिक से अधिक पानी पियें, यदि प्यास न लगी हो तब भी।
- हल्के रंग के पसीना शोषित करने वाले हल्के वस्त्र पहनें।
- धूप के चश्मे, छाता, टोपी व चप्पल का प्रयोग करें।
- अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो सिर, चेहरा, हाथ पैरों को गीले कपड़े से ढके रहें तथा छाते का प्रयोग करें।
- लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लेटाकर सूती गीले कपड़े से पोछे अथवा नहलायें तथा चिकित्सक से सम्पर्क करें।
- यात्रा करते समय पीने का पानी साथ ले जाएं।
- ओ0आर0एस0, घर में बने हुये पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी (माड़), नीबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें, जिससे कि शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके।
- हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट क्रैम्प के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सरदर्द, उबकाई, पसीना आना, मूर्छा आदि को पहचानें।
- यदि मूर्छा या बीमारी अनुभव करते हैं तो तुरन्त चिकित्सीय सलाह लें।
- अपने घर को ठण्डा रखें, पर्दे, दरवाजे आदि का उपयोग करें तथा शाम/रात के समय घर तथा कमरों को ठण्डा करने हेतु इसे खोल दें।
- पंखे, गीले कपड़ों का उपयोग करें तथा बारम्बार स्नान करें।
- कार्य स्थल पर ठण्डे पीने का पानी रखें/उपलब्ध करायें।
- कर्मियों को सीधी सूर्य की रोशनी से बचने हेतु सावधान करें।
- श्रमसाध्य कार्यों को ठण्डे समय में करने/कराने का प्रयास करें।
- घर से बाहर होने की स्थिति में आराम करने की समयावधि तथा आवृत्ति को बढ़ायें।
- गर्भस्थ महिला कर्मियों तथा रोगग्रस्त कर्मियों पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए।

क्या न करें–

- जानवरों एवं बच्चों को कभी भी बन्द/खड़ी गाड़ियों में अकेला न छोड़ें।
- दोपहर 12 से 03 बजे के मध्य सूर्य की रोशनी में जाने से बचें। सूर्य के ताप से बचने के लिये जहां तक सम्भव हो घर के निचली मंजिल पर रहें।
- गहरे रंग के भारी तथा तंग कपड़े न पहनें।
- जब बाहर का तापमान अधिक हो तब श्रमसाध्य कार्य न करें।
- अधिक प्रोटीन तथा बासी एवं संक्रमित खाद्य एवं पेय पदार्थों का प्रयोग न करें। अल्कोहल, चाय व काफी पीने से परहेज करें।

4.2 हीटवेव रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमोपचार :

<u>हीट इग्जॉस्चन के लक्षण</u>–

- अत्यधिक प्यास
- शरीर का तापमान बढ़ा हुआ (100.4 फारेन हाइट से 104.0)
- मांसपेशियों में ऐंठन
- जी मिचलाना/उल्टी होना
- सिर का भारीपन/सिरदर्द
- रक्तचाप का कम होना
- चक्कर आना
- भ्रांति/उलझन में होना
- अल्पमूत्रता/पेशाब का कम आना
- अधिक पसीना एवं चिपचिपी त्वचा

<u>हीट स्ट्रोक के लक्षण</u>–

- शरीर का तापमान बढ़ा हुआ (104.0 फारेन हाइट से ज्यादा)
- पसीना आना बंद होना/पसीने की ग्रंथी का निष्क्रीय होना
- मांसपेसियों में ऐंठन, चिपचिपी त्वचा
- त्वचा एवं शरीर का लाल होना
- जी मचलाना/उल्टी होना, चक्कर आना
- सिर का भारीपन/सिर दर्द, चक्कर आना
- भ्रांति/उलझन में होना
- अल्पमूत्रता/पेशाब का कम होना
- मानसिक असंतुलन
- सांस की समस्या, श्वसन प्रक्रिया तथा धड़कन तेज होना

<u>प्राथमिक उपचार</u>–

- व्यक्ति को तुंरत पंखे के नीचे तथा छायादार स्थान पर ले जायें
- कपड़ों को ढीला करें
- शरीर को गीले कपड़े से स्पंज करें
- ओ.आर.एस. का घोल पिलाएं
- नीबू का पानी नमक के साथ पिलाएं
- मांसपेशियों पर दबाव डालें तथा हल्की मालिस करें
- शरीर के तापमान को बार–बार जांचे
- यदि कुछ समय में सामान्य न हो तो तुरंत चिकित्सा केन्द्र ले जायें

<u>उपचार</u>–

- मरीज को तुरंत नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र ले जायें, कपड़ों को ढीला करें
- तुंरत पंखे के नीचे तथा छायादार स्थान पर ले जायें, शरीर को गीले कपड़े से स्पंज करें
- अगर मरीज कुछ पीने की अवस्था में हो तो पानी या शीतल पेय पिलाएं
- ओ.आर.एस. का घोल पिलाएं
- नीबू का पानी नमक के साथ पिलाएं
- मांसपेशियों पर दबाव डालें तथा हल्की मालिस करें

4.3 हीटवेव (लू) से प्रभावित मृतकों की पहचान करना तथा आंकड़ों का संग्रहण :

राज्य आपदा मोचक निधि गाईडलाइन के अनुसार घोषित आपदा में मृत व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मृत्यु का कारण स्पष्ट करते हुए घोषित किये जाने का उल्लेख्य है। तत्क्रम में स्वास्थ्य, पुलिस तथा राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु का कारण प्रमाणित करते हुए (पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्राथमिकी, पंचनामा, फोटोग्राफ आदि अन्य अभिलेख) के आधार पर मृतक की पहचान तथा आंकड़ों का संग्रहण किया जायेगा।

4.4 हीटवेव (लू) से संबंधित बिमारियों के प्रबंधन के लिए जन स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी :

मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर के आदेश सं0 नि0क0/हीटवेव/2023/22724–9 दिनांक 10 मार्च, 2023 के माध्यम से समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारीर, सामुदायिक/प्राथमिक/नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र, गोरखपुर को जनपद में हीटवेव (लू) एवं गर्मी के प्रभाव और इसके कारण उत्पन्न होने वाले रोगों के प्रबंधन एवं प्रभारी तैयारी हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके आधार पर समुचित कार्यवाही की जानी है। (आदेश संलग्न)

4.5 हीटवेव (लू) के दौरान क्या करें–क्या न करें :

उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा आयोजित कार्यशाला में दिये गये सुझावों व निर्देशों तथा उपलब्ध कराये गये पम्पलेट, अध्ययन सामग्री एवं प्रचार–प्रसार संबंधी अभिलेख योजना के साथ संलग्न किये गये हैं। साथ ही उक्त संदेशों को जनपद के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से जनसमुदाय को अवगत कराया जा रहा है। (संलग्न)

5. जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण / जिला प्रशासन द्वारा की गयी गतिविधियां :

5.1 हीटवेव से संबंधित बिमारियों के लिए अभिनव कार्य / बेस्ट प्रेक्टिसेज :

समस्त हितभागी विभागों / संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वर्ष–2023 में लू प्रकोप से बचाव हेतु जो कार्य किये जा रहे हैं, उनका दस्तावेजीकरण, स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों का रख–रखाव उपयुक्त प्रकार से करें, जिसके आधार पर आगामी वर्षों में बेहतर कार्य किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया जा सके।

5.2 क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा :

<u>जनपद स्तरीय</u> : जनपद स्तर पर समस्त हितभागी विभागों एवं संस्थाओं का समन्वय बैठक माह मार्च, 2023 से माह जुलाई, 2023 तक की अवधि में प्रत्येक माह आयोजित किया जायेगा, जिसमें पूर्व तैयारी, दौरान किये जा रहे कार्यों तथा जो बेहतर कार्य हुए हैं, उनकी सराहना एवं जिस स्तर पर कमियां रह गयी हैं, उन्हें दूर किये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

<u>तहसील व विकास खण्ड स्तर</u> : संबंधित उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य तहसील व ब्लाक स्तरीय अधिकारियों व कर्मचारियों की नियमित बैठक, पेयजल आपूर्ति, जलाशयों में जल भराव, कूलिंग सेंटर की स्थापना, ओ.आर.एस. सेंटर की स्थापना आदि अन्य कार्यों के क्रियान्वयन हेतु नियमित बैठकों का आयोजन तथा तहसील स्तर पर आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवस व अन्य कार्यक्रमों के दौरान लू से बचाव हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

<u>ग्राम स्तर</u> : संबंधित विभागों विशेषकर ग्राम पंचायत विभाग, जल निगम, जलकल, लघु सिंचाई, सिंचाई, नलकूप आदि जलापूर्ति से संबंधी कार्यदायी संस्थाओं एवं आशा, ए.एन.एम., आंगनबाड़ी, प्रधानाध्यापक, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल आदि के माध्यम से जनसमुदाय के मध्य लू प्रकोप से बचाव हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। साथ ही लू प्रकोप से होने वाले नुकसान / क्षति का दस्तावेजीकरण कराते हुए नियमानुसार राज्य आपदा मोचक निधि आदि के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जायेगा।

5.3 दीर्घकालीन हीटवेव (लू) से सुरक्षा के उपाय :

समस्त संबंधित हितभागी विभागों को हीटवेव (लू) से बचाव हेतु दीर्घकालीन योजना निर्माण हेतु निर्देशित किया गया है। विभागों द्वारा योजना निर्माण की कार्यवाही की जा रही है, जिसकी प्रगति समीक्षा प्रत्येक माह आयोजित होने वाले बैठक में की जायेगी और जनपद स्तरीय योजना में समाहित किया जायेगा।

5.4 सीखें :

जनपद–गोरखपुर बहुआपदा प्रभावित होने के कारण घटित आपदाओं के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही प्रायः नवाचार एवं आगामी रणनीति में सहायक सिद्ध होती है। विगत वर्षों के अनुभवों के आधार पर वर्ष–2023 में हीटवेव के प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु निम्नानुसार नवाचार / कार्यवाही की गयी है :–

- जनपद के नगरीय क्षेत्र में निर्धारित पार्किंग स्थल के संचालन हेतु किये जा रहे निविदा प्रक्रिया में हीटवेव के दृष्टिगत यह निर्धारित किया गया है कि कार्यदायी संस्था को उक्त स्थल पर आगंतुकों हेतु शेड की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल तथा शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- हीटवेव के दौरान प्रायः गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने की घटनाएं घटित होती हैं, जिससे व्यापक रूप में फसल क्षति होने के साथ–साथ उक्त क्षेत्र में तापमान में वृद्धि एवं अन्य प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। कृषकों द्वारा कम्बाईन मशीन के साथ भूसा बनाने की मशीन (स्ट्रा रीपर) से गेहूँ के बचे हुए डण्ठल को काटकर भूसा बनाया जाता है। विगत वर्ष के अनुभव एवं प्राप्त शिकायतों के आधार पर स्ट्रा रीपर मशीन से निकलने वाली चिंगारी से फसल एवं उसके अवशेष में आग लग जाती है। उक्त घटनाओं के नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा रिपर युक्त मशीन को आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर 15 अप्रैल, 2023 तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तदोपरांत आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ ही मशीन संचालन हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। यदि कोई फसल अवशेष / डण्ठल में आग लगाने की कार्यवाही करता है तो संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

- प्राधिकरण स्तर पर गठित 'क्लाइमेट सेल' के माध्यम से प्रत्येक दिवस के तापमान और हुई वर्षा से संबंधित सूचनाओं का संकलन किया जा रहा है और मौसम विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले पूर्वानुमान एवं नाओकास्ट को विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से समय–समय पर प्रकाशित कराया जा रहा है।
- नगरीय क्षेत्र में ''इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट'' के माध्यम से लू से बचाव विषय पर जनसंदेश का प्रसारण कराया जा रहा है।
- ग्रामीण अंचल में मंदिरों, मजिस्दों पर स्थापित लाउडस्पीकर के माध्यम से लू से बचाव संबंधी संदेशों का प्रसारण कराया जा रहा है।
- जिन क्षेत्रों में लाउडस्पीकर नहीं है, वहां पंचायत निधि से लाउडस्पीकर स्थापित कराये जाने हेतु जिला विकास विभाग एवं पंचायत राज विभाग को निर्देश जारी किया गया है।
- जनपद में संचालित परियोजनाओं एवं प्राइवेट निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को लू से बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं तथा मध्याह्न 12:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे के मध्य लू के दौरान मजदूर कार्य न करें, इस हेतु संबंधित कांट्रैक्टर आदि से वार्ता व निर्देश निर्गत किये जाने के लिए श्रम विभाग से अपेक्षा व्यक्त की गयी है।

5.5 हीटवेव (लू) से संबंधित मामलों का अध्ययन :

- जनपद में लू के कारण घटित होने वाली घटनाओं के प्रभावी न्यूनीकरण हेतु समस्त संबंधित विभागों से घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अध्ययन किये जाने की अपेक्षा की गयी है।
- घटित घटनाओं पर किये गये अध्ययन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने तथा आगामी वर्षों की योजनाओं को अद्यतन किये जाने में सहयोग प्राप्त होगा।

5.6 वित्तीय प्रावधान :

- राज्य आपदा मोचक निधि गाईडलाइन के अनुसार लू को आपदा घोषित किया गया है। यदि तहसील स्तर से सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से यह रिपोर्ट प्राप्त होती है कि उक्त घटना लू के कारण घटित हुई है, तो इस दशा में नियमानुसार व गाईडलाइन में प्राविधानित मदों के आधार पर प्रभावित परिवार/व्यक्ति को राहत राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- जनपद स्तर पर कार्यरत विभिन्न स्तर के स्वैच्छिक संगठन, व्यापारिक केन्द्र, कारखाने आदि से सहयोग प्राप्त कर 'कूलिंग सेंटर' की स्थापना व क्रियाशील किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

लू प्रकोप से बचाव हेतु जिला स्तर पर नामित किये गये विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के नाम, पदनाम व फोन नम्बर :

क्र.	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नम्बर
1	श्री कृष्णा करूणेश	जिलाधिकारी	राजस्व / डी.डी.एम.ए.	9454417544
2	श्री राजेश कुमार सिंह	अपर जिलाधिकारी (वि / रा)		9454417615
3	श्री स्कन्द कुमार	सहायक श्रमायुक्त	श्रम	9911566051
4	श्री संदीप कुमार सिंह	जिला विकास अधिकारी	विकास	9454464880
5	डॉ0 ए0आर0 चौधरी	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी	स्वास्थ्य	9452183211
6	डॉ0 बी0पी0 सिंह	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	पशुपालन	9839010855
7	डॉ0 नागेन्द्र सिंह	नगर शिक्षा अधिकारी	शिक्षा	8785959151
8	श्री रविन्द्र कुमार	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी	पर्यटन	9839156819
9	श्री आ0सी0 त्यागी	परिवहन अधिकारी	परिवहन	9794543122
10	श्री राहुल राय	बाल विकास परियोजना अधिकारी	बाल विकास	7505511667
11	श्री राज बहादुर सिंह	सहायक अभियंता	जी0डी0ए0	8090254177
12	श्री जी0पी0 गुप्ता	सहायक कार्यपालक अधिकारी	गीडा	9410470154
13	श्री रमेश द्विवेदी	कृषि विकास अधिकारी	कृषि	9415629774
14	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	सहायक वनाधिकारी	वन	9794073451
15	डॉ0 आशुतोष कुमार	सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी	पंचायत राज	9336653313
16	श्री अखिल आनन्द	अधिशासी अभियंता	जल निगम	9453590179
17	श्री जय प्रकाश	मौसम विज्ञान अधिकारी	मौसम	7309773760
18	श्री विनोद थापा	अधिशासी अभियंता	नलकूप–प्रथम	9454414910
19	श्री संजय कुमार सिंह	अधिशासी अभियंता	नलकूप–द्वितीय	9454414920
20	श्री रितेश कुमार	सहायक अभियंता	सिंचाई विभाग	8076684274
21	श्री परमानन्द पाण्डेय	उप निरीक्षक	अग्निशमन	9454418789
22	डॉ0 हरेन्द्र सिंह	वनाधिकारी	वन	9026898923
23	श्री एस.के. सिंह	सहायक निदेशक	कारखाना	7017639744
24	श्री विजय प्रकाश शुक्ला	निरीक्षक	उद्यान	8840665151
25	श्री गौतम गुप्ता	जिला आपदा विशेषज्ञ	आपदा	9935553214
26	श्री अशोक कुमार भारती	आपदा लिपिक	आपदा	9454416252
27	डॉ0 आशीष श्रीवास्तव	अध्यक्ष, भारत सेवा मिशन	एन.जी.ओ.	9415212566